

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 6593 / पंग्राविवि / 22 / SLNA / 12

रायपुर, दिनांक 30 / 08 / 2012

प्रति,

कलेक्टर सह अध्यक्ष, WCDC
जिला— गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली,
बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा
छत्तीसगढ़।

विषय:— राज्य में नव गठित 09 जिलों में जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC) को प्रदाय “संस्थागत व्यवस्था निधि खाता” एवं “परियोजना निधि खाता” के संचालन के संबंध में।

संदर्भ:— जलग्रहण योजनाओं हेतु जारी विभागीय पत्र क्रमांक 166, दिनांक 28.11.2011 (परिपत्र क्रमांक-5)


—00—

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) अंतर्गत नवगठित 09 जिलों में जिला पंचायत गठित होने तक जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC) के गठन हेतु जारी आदेश क्रमांक 79 / SLNA / 12, दिनांक 31.01.2012 में आंशिक संशोधन कर जिले के परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सदस्य सचिव सह परियोजना प्रबंधक (WCDC) बनाया जाता है साथ ही उक्त नवीन 09 जिलों में जिला पंचायत गठित होने तक संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के माध्यम से वित्तीय नियोजन, प्रचालन एवं प्रबंधन हेतु जारी दिशा-निर्देश के कंडिका 4.1.4 एवं 4.1.5 में उल्लेखित “संस्थागत व्यवस्था निधि खाता” एवं “परियोजना निधि खाता” का संचालन निम्न व्यवस्था के तहत किया जावेगा—

1. जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC) अंतर्गत “संस्थागत व्यवस्था निधि खाता” का संचालन संबंधित जिले के कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जावेगा।
2. जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC) के “परियोजना निधि खाता” का संचालन जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC एवं परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जावेगा।

जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC) के गठन एवं कार्य संबंधी शेष निर्देश एवं IWMP परियोजनांतर्गत वित्तीय नियोजन, प्रचालन एवं प्रबंधन हेतु जारी शेष दिशा-निर्देश पूर्वरत् रहेंगे। कृपया उपरोक्तानुसार “संस्थागत व्यवस्था निधि खाता” एवं “परियोजना निधि खाता” जिले में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाना सुनिश्चित करें।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदन)


(जे.एन. अवस्थी)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 6594 / पंग्राविवि / 22 / SLNA/12
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 20/08/2012

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC, (नवीन 09 जिलों को छोड़कर), जिला-समस्त, छत्तीसगढ़,
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह परियोजना प्रबंधक, WCDC जिला-समस्त, छत्तीसगढ़,
5. परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा, छत्तीसगढ़, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग